



कार्यालय कलेक्टर, एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

//प्रारंभिक अधिसूचना//

क्रमांक/ 88 /भू-अर्जन/ 2024

दन्तेवाड़ा, दिनांक 18/01/2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम(1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम(7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा(1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है।

-अनुसूची-

जिला	भूमि का विवरण				प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नं.	प्रभावित क्षेत्रफल (हे०में लगभग)		
1	2	3	4	5	6	7
दन्तेवाड़ा	गीदम	प.ह.नं.-18	994	0.008	कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग दन्तेवाड़ा	गुमड़ा से बालपेट सरहद तक सड़क निर्माण
			1077	0.019		
			1118	0.017		
			1119	0.016		
			1031/2	0.023		
			1045/2	0.004		
योग:-			06	0.087		

1. यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्ताता लोक प्रयोजन के औचित्य तथा समाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 की उपधारा(1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गीदम के कार्यालय में किया जा सकता है।

3. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

4. प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिये कराये गये समाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन समाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

(मंयक चतुर्वेदी)

कलेक्टर

दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

एवं पदेन उप सचिव छ0ग0 शासन

राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 18/01/2024

क्रमांक/ 84 /भू-अर्जन/ 2024

प्रतिलिपि:-

1. सचिव छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक जन संपर्क(विज्ञापन शाखा) रायपुर की ओर दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु सादर सूचनार्थ।
3. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर राजपत्र में प्रकाशन हेतु सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त बस्तर संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
5. अनुविभागीय अधिकारी(रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी गीदम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कार्यपालन अभियंता (लो0नि0वि0) दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं उक्त अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र एवं दो स्थानीय समाचार पत्र में कराकर उसकी प्रतियां भू-अर्जन अधिकारी गीदम के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
7. प्रभारी अधिकारी जिला नजारत शाखा जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर पत्र अग्रहित कर लेख है कि कृपया जिला कार्यालय के सूचना पटल पर इस अधिसूचना का प्रकाशन करवायें।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, दन्तेवाड़ा को भेजकर लेख है कि छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के वेबसाईड में उक्त अधिसूचना को अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
9. तहसीलदार गीदम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गीदम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मंयक चतुर्वेदी)

कलेक्टर

दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

एवं पदेन उप सचिव छ0ग0 शासन

राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग